

प्रेषक,

राकेश कुमार तिवारी,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बदायूँ।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ।

विषय:-

आग्नेयास्त्र खरीदने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जरिये सर्कुलर नम्बर 11/4-एच-16/एडमिन-(ए) दिनांकित 12.04.2010, यह आदेशित किया गया है कि आग्नेयास्त्र खरीदने के लिए अनुमति के संबंध में माननीय महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने के समय ही देना है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा जिलाधिकारी बदायूँ के समक्ष व्यक्तिगत सुरक्षा के उद्देश्य से दिनांक 07.11.2019 को रिवाल्वर/पिस्टल के अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है। आवेदन की छाया प्रति संलग्न है।

अतः माननीय महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि जिलाधिकारी बदायूँ द्वारा अनुज्ञप्ति की स्वीकृति किये जाने की प्रत्याशा के अधीन आग्नेयास्त्र खरीदने की अनुमति हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर!

दिनांक 07.11.2019

भवदीय

Rakesh Kumar Tiwari
(राकेश कुमार तिवारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बदायूँ।

संलग्नक:

आग्नेयास्त्र की अनुज्ञप्ति के लिए दिये गये
प्रार्थना पत्र की छाया प्रति।

Office of the District Judge

BUDAUN

No 4114/E/Budashed 07-11-19

FORWARDED

K. S.
DISTRICT JUDGE
BUDAUN 07.11.19.



आवेदक की पहचान

1. नाम	राजेश कुमार तिवारी (C.J.M.)		
2. अभिभावक/पति/पत्नी का नाम	श्री अशोक शर्मा तिवारी		
3. लिंग	पुरुष <input checked="" type="checkbox"/>	स्त्री	<input checked="" type="checkbox"/>
4. जन्म स्थान (जन्म भूमि)	देश	राज्य	जिला
	भारत	उ.प्र.	
5. इस्वी सन् में जन्म की तारीख	आवेदन की तारीख को 21 वर्ष का होना जरूरी है		
अंकों में	दिन	मास	वर्ष
	10	04	1980
शब्दों में	दस अप्रैल सन् 1980 सा अरसा-		
6. स्थायी खाता नम्बर (पैन कार्ड नम्बर)			
7. आधार कार्ड संख्या	6750 1562 4374		
8. वर्तमान पता	मुकान क्र०- 5-14/2 गजेन काठेना निक किपिल बार किपिल थाना काठेना जिला उ.प्र.		
	जिला	राज्य	
	उ.प्र.	उ.प्र.	
(क) वर्तमान पते पर कब से रह रहे हैं	दिन	मास	वर्ष
	5		
(ख) दूरभाष संख्या	कार्यालय	निवास	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
(ग) मोबाइल संख्या	कार्यालय	निवास	
	<input checked="" type="checkbox"/>		
(घ) नजदीकी पुलिस थाना	कार्यालय	निवास	
	<input checked="" type="checkbox"/>		
9. स्थायी पता	मकान क्र०- 283/1 गुरा लाल निक क.म. अरसा थाना जज हाउस		
	जिला	राज्य	
	गुप्तगंज	उ.प्र.	
(क) नजदीकी पुलिस थाना	जज हाउस		
10. व्यवसाय	व्यापारिक सेवा		
टिप्पणी : नजदीकी पुलिस थाना से वह पुलिस थाना अभिप्रेत है जिसको अधिकारिता में दिया गया पता आता है।			
11. कार्यालय/कारोबार का पता			
12. अतिरिक्त विशिष्टियां, यदि नियम 35 के अधीन	अवस्थिति (ग्राम) <input checked="" type="checkbox"/>		
फसल संरक्षण के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है	जुताई के अधीन भूमिक्षेत्र <input checked="" type="checkbox"/>		
आवेदक की अन्य विष्टियां			
13. क्या आवेदक :-			
(क) दोष सिद्ध हुआ है	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
		<input checked="" type="checkbox"/>	अपराध
			दण्डादेश
			दण्डादेश की तारीख
			दिन/मास/वर्ष
(ख) शांति और सदाचार बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन बंधपत्र क्रियान्वित होने का आदेश हुआ है	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
		<input checked="" type="checkbox"/>	तारीख (दिन/मास/वर्ष)
			(किस सीमा के लिए उसकी अवधि)
(ग) आयुध या गोला बारूद रखने से आयुध अधिनियम, 1959 या कोई अन्य विधि के अधीन निषेध हुआ है।	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
		<input checked="" type="checkbox"/>	तारीख (दिन/मास/वर्ष)
			(निषेध के लिए अवधि)
14. क्या			
(क) आवेदक ने अनुज्ञप्ति के लिए पहले आवेदन किया है, यदि हां, कब से कब तक और उसका परिणाम क्या था।	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
		<input checked="" type="checkbox"/>	आवेदन किये जाने की तारीख
			दिन/मास/वर्ष
			अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम
			परिणाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
			अनुमोदित/अस्वीकृत/लम्बित

(ख) आवेदक का अनुज्ञप्ति कभी निलम्बित या निरस्त/प्रतिसंहरित हुआ था	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
			अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम
			कारण <u>पूरी विधि से नहीं है</u>
(ग) आवेदक के परिवार का कोई अन्य सदस्य जिसके पास कोई आयुध अनुज्ञप्ति है, यदि हां तो उसकी विशिष्टियां	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
			नाम
			अनुज्ञप्ति संख्या
			आयुध पृष्ठांकन
			1.
			2.
			3.
(घ) आवेदक के पास आयुध और गोला बारूद रखने की सुरक्षित जगह है।	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
			<u>पूरी जगह</u>
(ड.) आवेदक ने नियम 10 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है (केन्द्रीय सरकार द्वारा जहां कहीं लागू हो)	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा

आवेदन किये गये विज्ञप्ति की विष्टियां

15. अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यकता (टिप्पणी 1 देखें)	<u>जानमालकी सूची है प्रारूप-III</u>		
16. आयुध का विवरण	प्रवर्ग - निर्बंधित <u>रिवाल्वर/पिस्टल</u>		
(क) जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगायें)	राइफल <input type="checkbox"/>	शाटगन (बी.एल./एम.एल.) <input type="checkbox"/>	हैण्डगन (रिवाल्वर/पिस्टल) <input checked="" type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>
(ख) गोला बारूद का विवरण या गोला बारूद संघटक जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है।	<u>रिवाल्वर/पिस्टल</u>		
17. क्षेत्र के भीतर जिसमें आवेदक ने आयुध को ले जाने की चाह रखी है। (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगायें)	जिला <input checked="" type="checkbox"/>	राज्य <input type="checkbox"/>	पूरे भारत में <input type="checkbox"/>
18. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, यदि कोई हो (साक्ष्य संलग्न कीजिए)			

अतिरिक्त सूचना

19. प्रारूप IV में अनुज्ञप्ति के लिए किसी आवेदन का ब्यौरा	
(क) स्थान या क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है	<u>समस्त इलाका</u>
ख.	

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिये गये उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त विधि के सम्बन्धित उपबन्धों के आधीन से विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दायी होगा।

स्थान : Budaun
तारीख :

Rakesh Kumar Tiwari
आवेदक के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर

टिप्पणी :

- स्तंभ 15 के सामने, आवेदक को स्पष्ट रूप से उस प्रयोजन का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है-जैसे कि (प्रारूप-II, III या IV) आवेदित अनुज्ञप्ति के प्रवर्ग के अनुसार उपयोग, अर्जन कब्जा, ले जाना, खेल, प्रदर्शन, जंगली जानवरों का नाश जो मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को नुकसान आदि।
- नियम II के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज आवेदक के साथ प्रस्तुत करना है -
(क) आवेदक का नवीनतम फोटो की (सफेद पृष्ठभूमि में) चार पासपोर्ट साईज की प्रतियां।
(ख) जन्म की तारीख का सबूत।
(ग) पहचान सबूत - आधार कार्ड या आवेदक के पास आधार कार्ड न होने की दशा में, वैकल्पिक पहचान सबूत जैसे - पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड या कर्मचारी का जारी किया हुआ पहचान पत्र के साथ शपथपत्र के रूप में एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा।
(घ) निवास सबूत - आवेदक के पास आधार कार्ड या पासपोर्ट न होने की दशा में - (निर्वाचक कार्ड या विद्युत बिल या लैण्डलाइन टेलीफोन बिल या किराया बिल या पट्टा बिल या सम्पत्ति दस्तावेज या अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समाधान का कोई अन्य दस्तावेज)
(ङ) प्रारूप घ-1 में अग्निआयुध प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (साधारण या विशेष आदेश पारित द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा जहाँ कहीं लागू हो)।
(च) प्रारूप घ-2 में वचनबंध अग्निआयुध के सुरक्षित उपयोग और भण्डारण।
(छ) नियम 12 के उपनियम (3) के खण्ड (क) में यथाविनिर्दिष्ट वृत्तिक प्रवर्ग आवेदकों से शैक्षिक और वृत्तिक अर्हता प्रमाणपत्रों की स्वयं-अनुप्रमाणित प्रतियां।
(ज) प्रारूप घ-3 में मानसिक स्वस्थ और शारिरिक योग्यता के बारे में चिकित्सा प्रमाणपत्र।
(झ) जंगली जानवरों के नाश जो कि मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को नुकसान के लिए संरक्षण की दशा में, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 की 53) के अधीन सशक्त प्राधिकारी से अनुज्ञा दी जायेगी।
- जो प्रविष्टियां सम्बन्धित नहीं हैं उसे काट दें।

चेतावनी : आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्रारूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दण्ड के लिए उत्तरदायी होगा।

Rakesh Kumar Tiwari
आवेदक के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर

क्रमांक 2093

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, (शस्त्र अनुभाग) बदायूँ

सं० /आयुध लिपिक

दिनांक

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
बदायूँ



श्री
पुत्र श्री
थाना

स्थायी निवास
लाइसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र दिया है।

कृपया निम्न प्रारूप पर थानाध्यक्ष के माध्यम से जांच कराकर जांच आख्या अपनी संस्तुति सहित 30 दिन के अन्दर शस्त्र कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र/
कृते जिला मजिस्ट्रेट
बदायूँ

प्रारूप घ-4
पुलिस रिपोर्ट का मानक प्रारूप

संदर्भ संख्या

तारीख

सेवा में,

थाना अध्यक्ष

..... पुलिस थाना

विषय: आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर (आवेदक के वर्तमान पते के) नजदीक पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को आयुध अधिनियम, 1939 की धारा 13(2) के अधीन रिपोर्ट।

क्रम सं.	विशिष्टियां	साराश
1.	आवेदक का नाम/पिता का नाम	
2.	आवेदक का पता	
3.	आवेदन किये गये अनुज्ञप्ति की प्रकृति	

टिप्पणी : आयुध अधिनियम, 1956 की धारा(2) के उपबन्धों के अनुसार, किसी आवेदन के प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, आवेदन पर नजदीक पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी से रिपोर्ट के लिए बुलायेगा और ऐसा अधिकारी विहित समय के भीतर उसे रिपोर्ट भेजेगा। तदनुसार, 30 दिनों के भीतर संलग्न प्रारूप में रिपोर्ट भेजी जायेगी।

संलग्न - संलग्नकों के साथ आवेदन प्रारूप (मूल) प्रति।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
बदायूँ

**पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट
(पुलिस विभाग द्वारा भरा जायेगा)**

1. आवेदक का नाम		
2. पिता/पति-पत्नी का नाम		
3. वर्तमान पता वर्तमान पता का नजदीक पुलिस थाना		
4. क्या आवेदक कभी दोषसिद्ध हुआ है ?	हाँ	नहीं
(क) यदि हाँ, अपराध, दंडादेश और दंडादेश की तारीख		
(ख) शांति बनाये रखने या सदाचार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 7 के अधीन बंध पत्र के निष्पादन का आदेश किया गया है। यदि हाँ, तो कब और उसकी अवधि क्या है ?	हाँ	नहीं
(ग) किसी अपराध या गोलाबारूद उसके पास ले जाने में अर्जन किए जाने से आयुध अधिनियम, 1959 या किसी अन्य विधि के अधीन निरूद्ध किया गया है। यदि हाँ, तो कब और उसकी अवधि क्या है ?	हाँ	नहीं
5. क्या आवेदक का किसी से शत्रुता या झगड़ा है जिसमें शान्ति भंग होने की सम्भावना है ? यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
6. क्या आवेदक का पता और जन्म तारीख का सत्यापन किया गया है ? ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
7. क्या आवेदक का व्यवसाय/कारोबार का सत्यापन किया गया है ? ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
8. क्या पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत रजिस्टर्ड है। यदि हाँ, तो ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
9. क्या आवेदक किसी अपराध में संलिप्त रहा है। यदि हाँ, तो ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
10. क्या आवेदक किसी अपराध में गिरफ्तार हुआ है। यदि हाँ, तो ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
11. क्या आवेदक का नाम पुलिस थाने के खराब चरित्र रजिस्टर में सूचबद्ध है ? यदि हाँ, पुलिस थाने के अभिलेख के अनुसार ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
12. क्या आवेदक का नाम भारत सरकार के अन्य विभाग जैसे - सीबीआई, स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो डीआरआई, प्रवर्तन निदेशालय आदि द्वारा किसी मामले में रजिस्टर्ड किया गया है। जिसमें पुलिस थाने की दैनिक डायरी रजिस्टर, सम्मन, वारण्ट आदि में वर्णित पाया गया है ? (यदि हाँ तो ब्यौरा दीजिए)		
13. क्या आवेदक ने पुलिस थाने में जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में कोई शिकायत रजिस्टर्ड कराई है ? यदि हाँ, तो ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
14. किसी राजनैतिक या साम्प्रदायिक संगठन जिसमें आवेदक सदस्य है का ब्यौरा		

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक द्वारा जमा किये गये आयुध अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन प्रारूप की विषय-वस्तुओं को चेक कर लिया है।

तारीख :

मोहर

हस्ताक्षर थाना प्रभारी
पुलिस थाना

क्रमांक२०१३.....

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, (शस्त्र अनुभाग) बदायूँ

जिला रायफल क्लब द्वारा मुद्रित

सं० /आयुध लिपिक दिनांक

नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ/
उप जिला मजिस्ट्रेट



श्री
पुत्र श्री
थाना
स्थायी निवास
लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र दिया है।

अतः शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि निम्न बिन्दु सं०-1 से 9 तक के सम्बन्ध में बिन्दुवार जाँच कर आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित 15 दिन के अन्दर शस्त्र कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करे।

- 1- क्या प्रार्थी/आवेदक पर कोई मुख्य देय/विधि देय (बैंक/सरकारी देय) बकाया तो नहीं है।
(क्षेत्रीय अमीन की आख्या-नाम, हस्ताक्षर दिनांक सहित)
- 2- क्या प्रार्थी /आवेदक ने गाँव सभा/सरकारी भूमि/सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण तो नहीं किया है।
(क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या-नाम, हस्ताक्षर दिनांक सहित)
- 3- (विरासत के आधार पर) मृत लाइसेंस की सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण-पत्र, वारिसान प्रमाण-पत्र, अन्य वारिसान की सहमति के शपथ-पत्र लाइसेंस की फोटो प्रति तथा शस्त्र जमा करने की रसीद संलग्न की जाये।
- 4- (वृद्ध हस्तान्तरण के आधार पर) अशक्त/वृद्ध लाइसेंस की सम्बन्ध में लाइसेंस की छायाप्रति एवं प्रार्थी के पक्ष में सहमति का शपथ-पत्र शस्त्र जमा करने की रसीद तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के साक्ष्य में हाई स्कूल परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी बदायूँ द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये।
- 5- आवेदक को शस्त्र लाइसेंस की वास्तविक आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्ट कथन अंकित किया जाये।
- 6- शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र में इंगित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जाँच कराकर तहसीलदार की स्पष्ट संस्तुति के साथ अपनी टिप्पणी सहित स्पष्ट संस्तुति अंकित की जाये।
- 7- शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखीय साक्ष्यों का भी सत्यापन कर लिया जाये।
- 8- आवेदक के आवेदन पत्र में दर्शाये गये पते का सत्यापन भी कर लिया जाये।
- 9- आवेदक की आयु के साक्ष्य में हाई स्कूल परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी बदायूँ द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये। तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। 21 वर्ष से कम आयु वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी आयुध,
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
बदायूँ।

सफल क्लब द्वारा मुद्रित)
कार्य का मूल्य रु. 500/-

क्रमांक 7093

अनुसूचि-III, भाग-II

आवेदन प्रारूप

प्रारूप क-1 (व्यष्टि के लिए)

प्रारूप-II, III और IV में किसी अग्निआयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्रारूप
(नियम 11 देखें)



आवेदक की पहचान

1. नाम	राजेश कुमार तिवारी (E.J. 17)		
2. अभिभावक/पति/पत्नी का नाम	अलक्षेश भाई तिवारी		
3. लिंग	पुरुष	<input checked="" type="checkbox"/>	स्त्री
4. जन्म स्थान (जन्म भूमि)	देश	भारत वर्ष	राज्य
			उ.प्र.
5. इस्वी सन् में जन्म की तारीख	आवेदन की तारीख को 21 वर्ष का होना जरूरी है		
अंकों में	दिन	मास	वर्ष
शब्दों में	10 04 1980		
6. स्थायी खाता नम्बर (पैन कार्ड नम्बर)	6750 1562 4374		
7. आधार कार्ड संख्या	6750 1562 4374		
8. वर्तमान पता	मकान नं- J-IV/2 जजेज कालोनी बिल्डर सिविल कार		
	जिला	राज्य	उ.प्र.
(क) वर्तमान पते पर कब से रह रहे हैं	दिन	मास	वर्ष
(ख) दूरभाष संख्या	कार्यालय	<input checked="" type="checkbox"/>	निवास
(ग) मोबाइल संख्या	कार्यालय	<input checked="" type="checkbox"/>	निवास
(घ) नजदीकी पुलिस थाना	कार्यालय	<input checked="" type="checkbox"/>	निवास
9. स्थायी पता	मकान नं- 283/1, पुरादेवल, तिलकगढ़, अलमोड़ा		
	जिला	राज्य	उ.प्र.
(क) नजदीकी पुलिस थाना	जजेज कालोनी		
10. व्यवसाय	व्यापारिक सेवा		
टिप्पणी : नजदीकी पुलिस थाना से वह पुलिस थाना अभिप्रेत है जिसको अधिकारिता में दिया गया पता आता है।			
11. कार्यालय/कारोबार का पता			
12. अतिरिक्त विशिष्टियां, यदि नियम 35 के अधीन	अवस्थिति (ग्राम) <input checked="" type="checkbox"/>		
फसल संरक्षण के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है	जुताई के अधीन भूमिक्षेत्र <input checked="" type="checkbox"/>		
आवेदक की अन्य विष्टियां			
13. क्या आवेदक :-			
(क) दोष सिद्ध हुआ है	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
		<input checked="" type="checkbox"/>	अपराध
			दण्डादेश
			दण्डादेश की तारीख
			दिन/मास/वर्ष
(ख) शांति और सदाचार बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन बंधपत्र क्रियान्वित होने का आदेश हुआ है	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
		<input checked="" type="checkbox"/>	तारीख (दिन/मास/वर्ष)
			(किस सीमा के लिए उसकी अवधि)
(ग) आयुध या गोला बारूद रखने से आयुध अधिनियम, 1959 या कोई अन्य विधि के अधीन निषेध हुआ है।	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
		<input checked="" type="checkbox"/>	तारीख (दिन/मास/वर्ष)
			(निषेध के लिए अवधि)
14. क्या			
(क) आवेदक ने अनुज्ञप्ति के लिए पहले आवेदन किया है, यदि हां, कब से कब तक और उसका परिणाम क्या था।	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
		<input checked="" type="checkbox"/>	आवेदन किये जाने की तारीख
			दिन/मास/वर्ष
			अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम
			परिणाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
			अनुमोदित/अस्वीकृत/लम्बित

(क) आवेदक का अनुज्ञापित कर्ता निलम्बित या निरस्त/

प्रतिबंधित हुआ था

हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा	
	✓	अनुज्ञापित प्राधिकारी का नाम	
		कारण <u>पूर्वनिश्चान लागू नहीं</u>	
हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा	
		नाम	
		अनुज्ञापित संख्या	
		आयुध पृष्ठांकन	
		1.	
		2.	
		3.	
(घ) आवेदक के पास आयुध और गोला बारूद रखने की सुरक्षित जगह है।	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
	✓		<u>पठमा भवन</u>
(ड.) आवेदक ने नियम 10 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है (केन्द्रीय सरकार द्वारा जहां कहीं लागू हो)	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
	✓		

आवेदन किये गये विज्ञप्ति की विष्टियां

15. अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यकता (टिप्पणी 1 देखें)	<u>जानानकारी सूझा देवु प्राकृतिक</u>		
16. आयुध का विवरण	प्रवर्ग - निर्बंधित <u>खण्डों को रिवावर/पिस्टल</u>		
(क) जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगायें)	राइफल <input checked="" type="checkbox"/>	शाटगन (बी.एल./एम.एल.) <input type="checkbox"/>	हैण्डगन (रिवावर/पिस्टल) <input type="checkbox"/>
(ख) गोला बारूद का विवरण या गोला बारूद संघटक जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है।	<u>खण्डों को रिवावर/पिस्टल</u>		
17. क्षेत्र के भीतर जिसमें आवेदक ने आयुध को ले जाने की चाह रखी है। (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगायें।)	जिला <input checked="" type="checkbox"/>	राज्य <input checked="" type="checkbox"/>	पूरे भारत में <input type="checkbox"/>
18. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, यदि कोई हो (साक्ष्य संलग्न कीजिए)			

अतिरिक्त सूचना

19. प्रारूप IV में अनुज्ञप्ति के लिए किसी आवेदन का ब्यौरा	
(क) स्थान या क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है	<u>खाना 3050</u>
ख.	

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिये गये उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त विधि के सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दायी होगा।

स्थान : Bledam
तारीख :

Rakesh Kumar Jaiswal
आवेदक के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर

टिप्पणी :

- स्तंभ 15 के सामने, आवेदक को स्पष्ट रूप से उस प्रयोजन का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है-जैसे कि (प्रारूप-II, III या IV) आवेदित अनुज्ञप्ति के प्रवर्ग के अनुसार उपयोग, अर्जन कब्जा, ले जाना, खेल, प्रदर्शन, जंगली जानवरों का नाश जो मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को नुकसान आदि।
- नियम II के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज आवेदक के साथ प्रस्तुत करना है -
(क) आवेदक का नवीनतम फोटो की (सफेद पृष्ठभूमि में) चार पासपोर्ट साईज की प्रतियां।
(ख) जन्म की तारीख का सबूत।
(ग) पहचान सबूत - आधार कार्ड या आवेदक के पास आधार कार्ड न होने की दशा में, वैकल्पिक पहचान सबूत जैसे - पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या कर्मचारी को जारी किया हुआ पहचान पत्र के साथ शपथपत्र के रूप में एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा।
(घ) निवास सबूत - आवेदक के पास आधार कार्ड या पासपोर्ट न होने की दशा में - (निर्वाचक कार्ड या विद्युत बिल या लैण्डलाइन टेलीफोन बिल या किराया विलेख या पट्टा विलेख या सम्पत्ति दस्तावेज या अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समाधान का कोई अन्य दस्तावेज)
(ङ) प्रारूप घ-1 अग्निआयुध प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (साधारण या विशेष आदेश पारित द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा जहाँ कहीं लागू हो)।
(च) प्रारूप घ-2 में वचनबंध अग्निआयुध के सुरक्षित उपयोग और भण्डारण।
(छ) नियम 12 के उपनियम (3) के खण्ड (क) में यथाविनिर्दिष्ट वृत्तिक प्रवर्ग आवेदकों से शैक्षिक और वृत्तिक अर्हता प्रमाणपत्रों की स्वयं-अनुप्रमाणित प्रतियां।
(ज) प्रारूप घ-3 में मानसिक स्वस्थ और शारिरिक योग्यता के बारे में चिकित्सा प्रमाणपत्र।
(झ) जंगली जानवरों के नाश जो कि मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को नुकसान के लिए संरक्षण की दशा में, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन सशक्त प्राधिकारी से अनुज्ञा दी जायेगी।
- जो प्रविष्टियां सम्बन्धित नहीं हैं उसे काट दें।

चेतावनी : आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्रारूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दण्ड के लिए उत्तरदायी होगा।

Rakesh Kumar Jaiswal
आवेदक के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर

प्रारूप-11, III और IV में किसी अनिश्चित अनुज्ञापिका के लिए आवेदन का प्रारूप (नियम 11 देखें)

क्रमांक
 अनुसूचि-III, भाग-II
 आवेदन प्रारूप
 प्रारूप क्र-1 (व्यक्ति के लिए)
 अनिश्चित अनुज्ञापिका के लिए आवेदन का प्रारूप
 (नियम 11 देखें)



आवेदक की पहचान

राकेश कुमार शिवाजी

आवेदक का पता

1. नाम	राकेश कुमार शिवाजी		
2. अधिवाचक/पति/पत्नी का नाम	आवेदक का पता		
3. लिंग	पुरुष	स्त्री	<input checked="" type="checkbox"/>
4. जन्म स्थान (जन्म भूमि)	देश	राज्य	जिला
	भारत	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
5. इस्वी स्मू में जन्म की तारीख	आवेदन की तारीख को 21 वर्ष का होना जरूरी है		
अंकों में	दिन	मास	वर्ष
यहाँ में	10	04	1980
6. स्थायी छाता नम्बर (पैन कार्ड नम्बर)	6950 1562 4274		
7. आधार कार्ड संख्या	पान नं०-5-11/2 डीजेन भागोली निकर शिवाजी		
8. वर्तमान पता	जिला	राज्य	वर्ष
	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	2019
(क) वर्तमान पते पर कब से रह रहे हैं	दिन	मास	वर्ष
(ख) दूरभाष संख्या	कार्यालय	निवास	
(ग) मोबाइल संख्या	कार्यालय	निवास	
(घ) नजदीकी पुलिस थाना	कार्यालय	निवास	
9. स्थायी पता	पान नं०-203/1 डीजेन भागोली निकर शिवाजी		
(क) नजदीकी पुलिस थाना	जिला	राज्य	वर्ष
व्यवसाय	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	2019
10. टिप्पणी : नजदीकी पुलिस थाना से वह पुलिस थाना अधिप्रेत हैं जिसको अधिकारिता में दिया गया पता आता है।			
11. कार्यालय/कारोबार का पता			
12. अतिरिक्त विशिष्टियां, यदि नियम 35 के अधीन फसल संरक्षण के लिए अनुज्ञापिका अधिप्रेत है	अवस्थिति (ग्राम)	जुलाई के अधीन भूमिक्षेत्र	
आवेदक की अन्य विष्टियां			
13. क्या आवेदक :-	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
(क) दोष सिद्ध हुआ है	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	अपराध
			दण्डदेश
			दण्डदेश की तारीख
			दिन/मास/वर्ष
(ख) शांति और सदाचार बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन बंधपत्र क्रियान्वित होने का आदेश हुआ है	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
(ग) आयुध या गोला बारूद रखने से आयुध अधिनियम, 1959 या कोई अन्य विधि के अधीन निषेध हुआ है।	हां	नहीं	तारीख (दिन/मास/वर्ष)
			(निषेध के लिए अवधि)
14. क्या	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
(क) आवेदक ने अनुज्ञापिका के लिए पहले आवेदन किया है, यदि हां, कब से कब तक और उसका परिणाम क्या था।	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	आवेदन किये जाने की तारीख
			दिन/मास/वर्ष
			अनुज्ञापिका प्राधिकारी का नाम
			परिणाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
			अनुमोदित/अस्वीकृत/लम्बित

(ख) आवेदक का अनुज्ञप्ति कभी निलम्बित या निरस्त/प्रतिसंहरित हुआ था	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
			अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम कारण <u>एव वही मर जाया है</u>
(ग) आवेदक के परिवार का कोई अन्य सदस्य जिसके पास कोई आयुध अनुज्ञप्ति है, यदि हां तो उसकी विशिष्टियां	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
			नाम
			अनुज्ञप्ति संख्या
			आयुध पृष्ठंकन
			1.
			2.
			3.
(घ) आवेदक के पास आयुध और गोला बारूद रखने की सुरक्षित जगह है।	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
	✓		<u>पक्का मकान</u>
(ड.) आवेदक ने नियम 10 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है (केन्द्रीय सरकार द्वारा जहां कहीं लागू हो)	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा
	✓		

आवेदन किये गये विज्ञप्ति की विष्टियां

15. अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यकता (टिप्पणी 1 देखें)	<u>जानकारी की सुझाव देना</u> <u>प्राप्त नहीं</u>		
16. आयुध का विवरण	प्रवर्ग - निर्बंधित <u>रानधीन का रिवाल्वर पिस्टल</u>		
(क) जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगायें)	राइफल <input checked="" type="checkbox"/>	शाटन (बी.एल./एम.एल.) <input type="checkbox"/>	
	हैण्डगन (रिवाल्वर/पिस्टल) <input checked="" type="checkbox"/>	अन्य <input type="checkbox"/>	
(ख) गोला बारूद का विवरण या गोला बारूद संघटक जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है।	<u>रानधीन का रिवाल्वर पिस्टल</u>		
17. क्षेत्र के भीतर जिसमें आवेदक ने आयुध को ले जाने की चाह रखी है। (किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगायें।)	जिला	राज्य	पूरे भारत में
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, यदि कोई हो (साक्ष्य संलग्न कीजिए)			

अतिरिक्त सूचना

19. प्रारूप IV में अनुज्ञप्ति के लिए किसी आवेदन का ब्यौरा	
(क) स्थान या क्षेत्र जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है	<u>समना उठ 90</u>
ख.	

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिये गये उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही हैं। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम, 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त विधि के सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दायी होगा।

स्थान : Badaun
तारीख :

Rakesh Kumar Tiwari
आवेदक के अंगुठे का निशान/हस्ताक्षर

टिप्पणी :

- स्तंभ 15 के सामने, आवेदक को स्पष्ट रूप से उस प्रयोजन का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है- जैसे कि (प्रारूप-II, III या IV) आवेदित अनुज्ञप्ति के प्रवर्ग के अनुसार उपयोग, अर्जन कब्जा, ले जाना, खेल, प्रदर्शन, जंगली जानवरों का नाश जो मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को नुकसान आदि।
- नियम II के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज आवेदक के साथ प्रस्तुत करना है -
(क) आवेदक का नवीनतम फोटो की (सफेद पृष्ठभूमि में) चार पासपोर्ट साईज की प्रतियां।
(ख) जन्म की तारीख का सबूत।
(ग) पहचान सबूत - आधार कार्ड या आवेदक के पास आधार कार्ड न होने की दशा में, वैकल्पिक पहचान सबूत जैसे - पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या कर्मचारी को जारी किया हुआ पहचान पत्र के साथ शपथपत्र के रूप में एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा।
(घ) निवास सबूत - आवेदक के पास आधार कार्ड या पासपोर्ट न होने की दशा में - (निर्वाचक कार्ड या विद्युत बिल या लैण्डलाइन टेलीफोन बिल या किराया विलेख या पट्टा विलेख या सम्पत्ति दस्तावेज या अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के समाधान का कोई अन्य दस्तावेज)
(ङ) प्रारूप घ-1 में अग्निआयुध प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (साधारण या विशेष आदेश पारित द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा जहाँ कहीं लागू हो)।
(च) प्रारूप घ-2 में वचनबंध अग्निआयुध के सुरक्षित उपयोग और भण्डारण।
(छ) नियम 12 के उपनियम (3) के खण्ड (क) में यथाविनिर्दिष्ट वृत्तिक प्रवर्ग आवेदकों से शैक्षिक और वृत्तिक अर्हता प्रमाणपत्रों की स्वयं-अनुप्रमाणित प्रतियां।
(ज) प्रारूप घ-3 में मानसिक स्वस्थ और शारिरिक योग्यता के बारे में चिकित्सा प्रमाणपत्र।
(झ) जंगली जानवरों के नाश जो कि मनुष्य द्वारा क्षति की गई हो या मवेशी और फसलों को नुकसान के लिए संरक्षण की दशा में, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन सशक्त प्राधिकारी से अनुज्ञा दी जायेगी।
- जो प्रविष्टियां सम्बन्धित नहीं हैं उसे काट दें।

चेतावनी : आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्रारूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दण्ड के लिए उत्तरदायी होगा।

Rakesh Kumar Tiwari
आवेदक के अंगुठे का निशान/हस्ताक्षर

प्रारूप घ-2

अग्निआयुध के सुरक्षित भंडारण के लिए वचनबद्ध का मानक प्रारूप
(नियम 10 (4) देखें)

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

बदायूँ

वचनबद्ध

यह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि :-

1.	मैं, नये आयुध अनुज्ञप्ति/आयुध अनुरूपित नवीनीकरण के प्रदान के लिए आवेदन करता हूँ (सं. और मेरा यू.आई.एन. है)
2.	मैं वचन देता हूँ (गिनी हुई स्थिति में) जब मैं अपने साथ आयुधों को नहीं ले जा रहा हूँ। अग्नि आयुध के सुरक्षित भण्डारण व्यवहार करूंगा।
3.	मैं वचन देता हूँ कि आयुधों और गोला बारूद के साथ सम्पर्क होने के खतरे के बारे में बच्चों को शिक्षित करूंगा।
4.	मेरे पास अग्नि आयुध को सेफ या इस्पात अलमारी में सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से रखने की भण्डारण क्षमता है जिससे यह जोखिम कम किया जा सके कि इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुराया जा सकता है या इस तक उस व्यक्ति की पहुंच हो सकती है।

यह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपरोक्त घोषणा में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सही है और यदि, किसी पचात्वर्ती तारीख पर, यदि कोई उक्त घोषणा झूठी और असत्य पाई जाती है तो मैं, उसके लिए जिसके अन्तर्गत मेरे अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या प्रतिसंहरण भी है तथा आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन शास्ति उपबंधों के अध्याधीन उत्तरदायी होऊंगा।

तारीख :

स्थान : *Budaun*

टिप्पणी : क्रम सं. 4 पर यथावर्णित सुरक्षित भंडारण का
सबूत संलग्न करें।

Rajesh Kumar Tiwari
(आवेदक/अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर)

भारतीय नैर न्यायिक




दस
रुपये

रु.10



Rs.10

INDIA NON JUDICIAL



स्थापक-पत्र

1 NOV 2019
03AE 135156

मामा :- श्री विमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय, जनपद-बदायूं ।

वापश्चकार अर्हित द्वारा- राधिका कुमार तिवारी पुत्र श्री स्वधेश मणि तिवारी नि०
म० नं०-283/1 पुरा दौलत, तिलवनगर अल्लापुर थाना सजि अउम, जनपद प्रयागराज 2050
वर्तमान पता-म० नं०-जे-35/2 जजेज कालोनी निकट विठ्ठल वार डिब्लिंग थाना
कोतवाली जनपद नयागढ के सामने, बदायूं ।

मे निम्न कश्चन अपने धार्म ईमान में लकृत हैं कि:-

1. यह कि मेरा जन्म तिथि- 10-04-1980 ई है। जिसके अनुसार मेरी आयु वर्ष है
2. यह कि मे अचकर का करदाता हूं। और करदाता की श्रेणी में आता हूं। मेरी
सुपजा विना का माधम- न्यायिक सेवा है।
3. यह कि मैंने कियो सरकारी कर्पलित जका सुअन स कि की कृति आ वि पर अंध
बलन नहीं किया है और न इन विधि में कोई भी कर्पलित है।
4. यह कि मेरे व मेरे परिवार के कियो भी सदस्य के विरुद आज तक कियो भी
शाने में कोई भी अपराध पंजीकृत नहीं हुआ है।
- 5- यह कि मेरे व मेरे परिवार के कियो भी सदस्य के विरुद आज तक कियो भी
न्यायालय में अपराधित वाद न ली पंजीकृत है और न ही विवरणीक है।
- 6- यह कि मेरे ऊपर कोई भी सरकारी देय बकाया नहीं है।
- 7- यह कि इनो पूर्व मेरे नाम कोई भी शाक लाइसेंस निरत नहीं किया गया है।
- 8- यह कि शाक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र में जो भी सुनारें व विवरण
मेरे द्वारा कृतिस किये गये है वह मेरी सज्जदारी व विवरण के अनुसार नहीं
गैव है। इसे कोई भी तल निपादा नहीं गयी है।

Radhak Kumar Tiwari

उपरोक्त वापश्चकार विवरण मेरे निजा इमान में ल है ईश्वर मेरी सायता करें।

भारतीय गैर न्यायिक



दस
रुपये

रु. 10



RULES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

1 NOV 2019

शपथ-पत्र

03AE 135155

समझ:- श्रीमान हरिबल सुतार उद्योगिक मजदूर, जनपद-...

शपथपत्र अंकित द्वारा- राकेश कुमार तिवारी पुत्र श्री अशेषा मणि तिवारी नि०
म० नं०-283/1 पुरा दलेल, तिलकनगर अल्लापुर थाना जार्जटाउन, जनपद प्रयागराज 2090
वर्तमान पता-म० नं०-जे- 5-2/2 जजेज कालोनी निकट सिविल वार बिल्डिंग थाना
कोत्वाली जनपद न्यायालय के सामने, बदायूं ।

मैं निम्न कंडन अपने हार्म ईमान से सब कहता हूँ कि:-

1. यह कि मेरी जन्मतिथि- 10-04-1980 ई है। जिसके अनुसार मेरी आयु वर्ष है।
2. यह कि मैं आयकर का करदाता हूँ। और करदाता की श्रेणी में आता हूँ। मेरी उपजीविका का साधन- न्यायिक सेवा है।
3. यह कि मैंने किसी सरकारी सम्पत्ति अथवा ग्राम समाज की भूमि आदि पर अधिकार कब्जा नहीं किया है और न इस संबंध में कोई वाद लम्बित है।
4. यह कि मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आज तक किसी भी थाने में कोई भी अपराध पंजीकृत नहीं हुआ है।
- 5- यह कि मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आज तक किसी भी न्यायालय में अपराधिक वाद न तो पंजीकृत है और न ही विवाराधीन है।
- 6- यह कि मेरे ऊपर कोई भी सरकारी देय बकाया नहीं है।
- 7- यह कि इससे पूर्व मेरे नाम कोई भी शास्त्र लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है।
- 8- यह कि शास्त्र लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र में जो भी सूचनाएँ व विवरण मेरे द्वारा अंकित किये गये हैं वह मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही व सत्य है। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

Rakesh Kumar Tiwari

उपरोक्त शपथपत्र का विवरण मेरे निजी ज्ञान से सब है ईश्वर मेरी सहायता करें।

प्रारूप घ-3

चिकित्सा प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप

(नियम 11 के उप-नियम (4) के खंड (छ) देखें)

(चिकित्सा व्यवसायी के लैटर हैड पर)



यह प्रमाणित किया जाता है, कि मैंने व्यक्ति का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

1. परीक्षण किये गये व्यक्ति का नाम रावेंद्र कुमार तिवारी
2. पिता/पति/पत्नि का नाम श्री अशोक गणेश तिवारी
3. निवास स्थान का पता मकान नं०-5-11/2 जयदेव नगरी सिविल डिपार्टमेंट वार्ड बिल्डिंग अन्ना सन्ध्या
जनक न्यायालय के सामने, ब्यापू
4. आयु और जन्म तारीख 39yrs , 10.04.80
5. ऊँचाई 175 cm
6. वजन (कि.ग्रा में) 75 kg
7. रक्तचाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) 120/80
8. विरूपण, यदि कोई हो NA

(ऊपरी हाथ पैरों में विशिष्ट तौर पर)

9. कोई अन्य अवलोकन

NO

परीक्षण के आधार पर, यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त स्तम्भ में यथावर्णित परीक्षित व्यक्ति :-

1. का अच्छा स्वास्थ्य है और किसी भौतिक विरूपण से मुक्त है:
2. का मानसिक स्थिति स्थिर पाई गई है और उग्रता प्रवृत्त नहीं है :
3. का मदोन्मत या स्वापक पदार्थ के प्रभाव के किसी तत्व पर निर्भर नहीं पाया गया है।

स्तंभ (1) में नामित परीक्षित व्यक्ति के हस्ताक्षर

चिकित्सा व्यवसायी के हस्ताक्षर

Ravindra Kumar Tiwari

रजिस्ट्रीकरण संख्या

(मोहर)

Chief Medical Superintendent
District Hospital, Buxar

प्रारूप घ-1
प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप
(नियम 10 (1) देखें)

नमा
6558

सेवा में,
जिला मजिस्ट्रेट,
बदायूं

प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उस व्यक्ति की विशिष्टियां जो नीचे दी गई हैं ने आयुध नियम, 2016 के नियम

10(1) के अधीन यथानियत प्रशिक्षण को पूरा किया है :-

1. व्यक्ति का नाम	रंजिता सुप्र तिबारी	
2. पिता/पति/पत्नी का नाम	श्री प्रमोद शर्मा तिबारी	
3. निवास स्थान पता	कमर नं०-522/2, एनएल भारतीय सिस्टम प्रशिक्षण वार मिश्रण, कना-कोटावी, एनएल, एनएल के अंतर्गत, एनएल, कना	
4. आयु और जन्म की तारीख	10.04.80	
5. प्रशिक्षण लिए जाने वाली अवधि	2 दिवस	
6. प्रदान किये गये उस प्रशिक्षण के लिए अग्नि आयुधों के ब्योरे (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	1. हँडगन ✓	05.11.19 से 06.11.19 तक
	2. राइफल ✓	
	3. शाटगन रिवाल्वर पिस्तूल	
	4. वायु आयुध ✓	
7. प्रशिक्षण का प्रयोजन (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	1. आयुध अनुज्ञापित के लिए आवेदन ✓	
	2. आयुध ब्यौहारी के साथ नियोजन ✓	
	3. विनिर्माता के साथ नियोजन ✓	
	4. अन्य ✓	
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें निम्नलिखित मापदण्ड है :-		
(क) बुनियादी आयुध और गोला बारूद सुरक्षात्मक चलन जिसके अन्तर्गत सुरक्षा, रख-रखाव और प्रक्रियाओं का करना भी सम्मिलित है:- इस्त्र की सामान्य जानकारी		
(ख) गोलाबारी तकनीकें और प्रक्रियाएँ।	✓	
(ग) आयुधों और गोलाबारूद की रखवाली	✓	
(घ) आयुधों और गोलाबारूद का सुरक्षित भण्डारण और परिवहन ✓		

उपरोक्त नामित व्यक्ति को आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियम, 2016 उनसे सम्बन्धित महत्वपूर्ण उपबन्धों का युक्तियुक्त कार्य साधक ज्ञान प्रदान किया गया था और आयुध स्वामी या प्रयोगकर्ता बलाकों के सम्बन्ध में विशिष्ट तौर पर उत्तरदायित्व समझाया गया था।

तारीख : 06.11.19
स्थान : पुणेवावदा

(Signature)
आर.के.सिंह
रिजल पुलिस लाइन
बदायूं

(Signature)
प्रमोद शर्मा
पुलिस लाइन
बदायूं